Semester - 2

By - Dr. Shyam Bihari Choudhary

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
National Council for Teacher Education (NCTE)

वैसे तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (रा.अ.शि.प.) नाम से एक संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली के शिक्षक शिक्षा विभाग के एक अनौपचारिक अंग के रूप मे 1973 से परामर्श देने का कार्य कर रही थी परन्तु वह एक अधिकार विहीन संस्था थी। सम्पूर्ण राष्ट्र मे अध्यापक शिक्षा के नियोजित तथा समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानकों व गुणवत्ता के निर्धारण व उनकी समुचित देखभाल करने के लिए एवं अध्यापक शिक्षा मे सम्बन्धित अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 मे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का गठन करने का निश्चय किया था। इस क्रम मे वर्ष 1993 के अधिनियम संख्या 73 के रूप में भारतीय संसद के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम (NCTE-act 1993) को पारित किया था। परिणामत: 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक संवैधानिक निकाय (Statutory Body) के अस्तित्व के रूप मे आ सकी थी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का कार्य क्षेत्र व्यक्तियों को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर स्कूलों मे शिक्षण के योग्य बनाने वाली शिक्षा, अनुसंधान, व प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों से है तथा इसमें अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालीन शिक्षा, प्रौढ शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य अग्रांकित ढंग से लिखे जा सकते हैं।

(i) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सर्वेक्षण व अध्ययन

(ii) उपयुक्त योजनायें तथा कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध मे परामर्श देना